जब रूसी फिल्म निर्देशक एड्री की जमानत एडवोकेट राकेश ने करायी

मुंबई के अधिवक्ता राकेश के. सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वह हमेशा लीक से हटकर काम करने में विश्वास रखते हैं। जो मुकदमा कोई और लेने में झिझक रहा हो या फिर हारने की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो, ऐसे केस लड़ने में राकेश कुमार सिंह को बड़ा आनंद आता है। ऐसे में ही एडवोकेट राकेश को एक बड़ा ही जटिल मुकदमा लड़ना पड़ा था। प्रख्यात रूसी फिल्म निर्देशक एड्री किलिन गत वर्ष मार्च में भारत भ्रमण पर दिल्ली पहुँचे। आध्यात्मिक रूचि के मि. एड्री को, भारतीयता को समझना था। संभवत: एक स्थापित निर्देशक के भविष्य की किसी योजना का अंग था यह भ्रमण। कृष्ण भक्त एड्री दिल्ली से पहुँचे वृंदावन। वहाँ उन्हें एक रूसी व्यक्ति मिला, जिसका नाम एलेक्सी था।

एलेक्सी के संग कुछ भारतीय युवा भी थे, जो एम.एम.एम. (ट्रिपल एम) संस्था से जुड़े थे। यह फेसबुक की तरह की संस्था बताई गयी, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और समाज सेवा में लगी रहती है। फिल्मकार एड्री उनके निवेदन पर फोटोग्राफर बन गये और दो कार्यक्रमों को कैमरे में कैद भी किया। फिर अचानक आफत आन पड़ी। संस्था पर छापा पड़ा और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एड्री को भी गिरफ्तार कर लिया।

संस्था पर कई धाराओं के तहत साठ से सटार करोड़ के बीच की धोखाधड़ी का आरोप था। एड्री को केस अबू सलेम के वकील रहे एडवावेकेट अशोक सरावगी ने लड़ा, पर जमानत नहीं मिली। फिर किसी ने एडवाकेट राकेश के. सिंह का नाम लिया। निराश एड्री ने अंतिम उम्मीद के रूप में राकेश को अपना वकील बनवाया। एड्री की खुशी का उस समय ठिकाना न रहा, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अभय एम थिप्से ने उन्हें बेल दे दी।